

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, (एस.डी.ओ) बाड़मेर

पीठारीन अधिकारी-श्री वीरमा राम, आर.ए.एस

क रीडर/2025/ 1276
प्रार्थीगण

बनाम

दिनांक - 21/03/25
अप्रार्थीगण

1 बहादुरसिंह 2 सताराम
3 गंगाराम पिसरान
पुनमाराम जाति जाट
निवासी बॉण्डा तालर
(छीतर का पार) तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।

1 गिरधारी 2 अणदाराम पिसरान सोनाराम 3
हडुमानराम पुत्र गिरधारीराम 4 ठाकराराम पुत्र
नेनुराम 5 पुनमाराम पुत्र नगाराम 6 बावुराम 7
बांकाराम पिसरान विशनाराम 8 धर्माराम 9 नगाराम
पिसरान नारणाराम 10 रूपाराम पुत्र पुनमाराम 11
वालाराम पुत्र लालाराम 13 रूपाराम पुत्र मेहराजराम
जाति जाट निवासी बॉण्डा तालर (छीतर का पार)
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128,111 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, नेखमबन्दी करने बाबत
राजस्व आवेदन संख्या :-219/2024

दिनांक- 17/03/25

आदेश

उपर्युक्त, प्रकरण मौजा बॉण्डा तालर पटवार क्षेत्र छीतर का पार तहसील बाटाडु
जिला बाड़मेर के खसरा संख्या 396 रकबा 6.2778 हेक्टर, व खसरा संख्या 481/387 रकबा
5.4608 हेक्टर, भूमि के चारो तरफ पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबन्दी करने हेतु
तहसीलदार बाटाडु को कमीश्नर नियुक्त किया जाता है। उक्त नेखमबन्दी कार्रवाई करने से पूर्व
प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण को नोटिस/पत्र के जरिये सूचित करते हुए एक तिथि निश्चित (वर्षाकाल
में खड़ी फसल पर सीमांकन व पत्थरगढी नही करने बाबत राजस्व विभाग द्वारा जारी निर्देश
दिनांक 04.08.1992 के मद्देनजर) कर पक्षकारान की उपस्थिति में नेखमबन्दी की जावे। कमीश्नर
शुल्क रुपये 1500/- अक्षरे एक हजार पांच सौ रुपये मात्र निर्धारित की जाती है, जो प्रार्थीगण
द्वारा मौके पर अदा किया जावेगा।

(वीरमा राम)

उपखण्ड अधिकारी,

बाड़मेर

क्रमांक :- रीडर/2025/ 1277-80

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

दिनांक- 21/03/25

- 1.तहसीलदार बाटाडु पालना प्रस्तुत करते वक्त पत्र पर निर्णय की तिथि अवश्य अंकित करें।
- 2.पटवारी छीतर का पार तहसील बाटाडु को भेजकर लेख है कि निर्धारित तिथि को मय रेकर्ड
उपस्थित रहकर नेखमबन्दी की कार्यवाही पूर्ण करावें।
- 3.प्रार्थीगण बहादुरसिंह पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी बॉण्डा तालर (छीतर का पार) तहसील
बाटाडु जिला बाड़मेर।
- 4.विप्रार्थीगण गिरधारी पुत्र सोनाराम वगैराह जाति जाट निवासी बॉण्डा तालर (छीतर का पार)
तहसील बाटाडु जिला बाड़मेर।

उपखण्ड अधिकारी,
बाड़मेर